<u>सूचना</u>

मंत्रालयों/विभागों/सांविधिक निकायों, आदि द्वारा पालन किये जाने की प्रकिया

यह सभी संबंधित पक्षों की जानकारी हेतु अधिसूचित किया जाता है कि कुछ पक्ष (पार्टियाँ) भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड-IV में मुद्रित कराने हेतु सामग्री को संबंधित मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के अग्रेषण पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड-IV में मुद्रण हेतु सामग्री संबंधित मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अग्रेषण पत्र के साथ प्रेषित की जानी चाहिए । भविष्य में (आगे से) भारत के राजपत्र भाग-III, खंड-IV में प्रकाशन हेतु मुद्रण सामग्री को संबंधित मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किए गए अग्रेषण पत्र के बिना प्रकाशन विभाग में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

सहा० नियंत्रक (वाणिज्य)

8-12-16

भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
(शहरी विकास मंत्रालय)
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

*****

दिनांक: 24-11-2016.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत के राजपत्र में सांविधिक निकायों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सामग्री का प्रकाशन ।

यह दिनांक 23-02-2016 की सूचना तथा दिनांक 03-06-16 के कार्यालय ज्ञापन सं० ओ-17034/6/2016/पीएसपी-II को संदर्भित किया जाता है । (करने के लिए) यह मंत्रालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया है कि कुछ सांविधिक निकायों/स्वायत निकायों द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण/साप्ताहिक) भाग-III खंड IV में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्रकाशन/मुद्रण सामग्री में कठिनाईयों का सामना किया जा रहा हैं । यह दोहराया जाता है कि जहां तक भारत के राजपत्र भाग III खंड IV में सांविधिक निकायों/स्वायत्त निकायों की सामग्री के प्रकाशन का संबंध है, भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के समकक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अग्रेषण पत्र या संबंधित व्यवस्थापिक/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अग्रषेण पत्र के साथ ही स्वीकार किया जाएगा ।

2. यह शहरी विकास मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस० के० मंडल)
नियंत्रक प्रकाशन

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों हेतु ।

8/12/16

सं० ओ-17034/6/2016/पीएसपी II

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

***

दिनांक: 3 जून 2016.

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: भारत के राजपत्र में सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सामग्री के मुद्रण के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को ऊपर वर्णित विषय के संदर्भ में प्रकाशन विभाग की दिनांक 23-02-16 की सूचना को निर्दिष्ट करने तथा यह स्पष्ट करने का निर्देश मिला है कि जहां तक प्रकाशन विभाग द्वारा भारत के राजपत्र भाग III खंड IV में प्रकाशित होने वाली सांविधिक निकायों/स्वायत्त निकायों की मुद्रण सामग्री के प्रकाशन का संबंध है, उसमें अग्रेषण पत्र भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से कम के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होना चाहिए अथवा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अग्रेषण पत्र के साथ राजपत्र में प्रकाशन के लिए मुद्रण सामग्री संलग्न होनी चाहिए ।

2. यह शहरी विकास मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस० के० मंडल)

नियंत्रक प्रकाशन

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय

8/6/16